प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 22.08.2024

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर हुई लूट की घटना का सफल अनावरण कर 03 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, लूटा गया ट्रक व कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक, 01 मोटर गोदरेज कम्पनी, 03 गत्ता पेटी प्लेटनुमा मशीनरी पार्ट, 01 गत्ता पेटी जिसमें बॉस कम्पनी के 04 ग्राइंडर, 01 कट्टे में प्लेट बनाने की डाई व 02 टायर जेके कम्पनी रिम सहित बरामद

दिनांक 20.08.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी/ड्राइवर श्री महेश कुमार दुबे पुत्र श्री सोमनाथ दुबे निवासी छोटी सिहावल थाना जिगना जिला मिर्जापुर ने तहरीर दी कि दिनांक 19.08.2024 की रात्रि को मैं पटेल नगर गाजियाबाद से अपना परचून के सामान से भरा ट्रक न0 HR 55AR 0840 को लेकर पैरीफेरल हाइवे से बिलासपुर जा रहा था कि ग्राम रेवडी हिण्डन नदी से पहले एक वाहन मे सवार 03-04 लोगो ने मेरा ट्रक ओवर टेक करके रोक लिया और मुझे ट्रक से नीचे उतारकर मेरे हाथ पैर बांधकर सडक के किनारे फेंक दिया और मेरा सामान से भरा ट्रक लेकर चले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर रवाना किया गया।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.08.24 को लूटे गये ट्रक नं0 HR 55AR 0840 में लगे जीपीएस सिस्टम के माध्यम से ट्रक को ट्रेस कर पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद से बरामद किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.08.2024 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से उपरोक्त घटना का सफल अनावरण कर उक्त घटना कारित करने वाले 03 शातिर लुटेरे 1. इनाम पुत्र शहीदू, 2. शकील पहलवान पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम बदरखा थाना छपरौली जिला बागपत, 3. ताज मौहम्मद उर्फ ताजू पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम जोहडी थाना बिनौली जिला बागपत को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक व लूटे गये बंद बॉडी ट्रक से निकाला गया सामान -01 मोटर गोदरेज कम्पनी, 03 गत्ता पेटी प्लेटनुमा मशीनरी पार्ट, 01 गत्ता पेटी जिसमें बॉस कम्पनी के 04 ग्राइंडर, 01 कट्टे में प्लेट बनाने की डाई व 02 टायर जेके कम्पनी रिम सहित बरामद हुए। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक 19-20/08/2024 की रात्रि को हम तीनो व अपने अन्य साथी शहजाद पुत्र शमशाद निवासी बदरखा बागपत के साथ पैरीफेरल एक्सप्रेस वे पर लूट करने की फिराक में अपने ट्रक नम्बर UP 17BT 8586 से घूम रहे थे कि जब हम लोग गाजियाबाद से बागपत की तरफ जाने वाले रास्ते पर हिण्डन नदी के पास पहुंचे तो देखा कि पैरीफेरल रोड पर सुनसान जगह रोड के किनारे एक बन्द बाडी का कंटेनर ट्रक खडा है तो हम लोगो ने अपनी ट्रक को रोककर उस बाडी कंटेनर ट्रक के कन्डेक्टर साइड का सीसा तोडकर उस ट्रक की खिडकी खोली तथा ट्रक के अन्दर सो रहे ड्राइवर को बाहर निकालकर पैरीफेरल से नीचे खेतो मे ले जाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहीं छोड़ दिया एवं उसके बन्द बाडी कंटेनर ट्रक मे इनाम और शहजाद जाकर बैठ गये। बन्द बाडी कंटेनर ट्रक को इनाम चलाकर एकान्त जगह की तलाश करते हुए ट्रोनिका सिटी पहुंचा तथा हम लोग भी पुहंच गये। जहाँ हम चारों ने छीने गये बन्द बाडी ट्रक HR 55AR 0840 के पीछे का दरवाजा तोडकर उसमे से एक मोटर व चार कार्टून निकाले थे। हमारे ट्रक UP 17BT 8586 के पीछे के पहिये खराब होने के कारण हम लोगो नें उस बंद बाडी ट्रक से ही जैक निकालकर उसके पीछे की दांहिनी साइड वाले एक जोडी पहिये भी निकाल लिये थे जो हमारे ट्रक में पीछे लगे हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. इनाम पुत्र शहीद् नि0- बदरखा थाना छपरौली जिला बागपत उम्र करीब 32 वर्ष,
2. शकील पहलवान पुत्र यासीन नि0- गाँव बदरखा थाना छपरौली जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष,
3. ताज मौहम्मद उर्फ ताजू पुत्र अब्दुल हमीद नि0-गाँव जोहडी थाना बिनौली जिला बागपत उम्र करीब 29 वर्ष,

नाम व पता फरार अभियुक्त-

शहजाद पुत्र शमशाद निवासी बदरखा बागपत

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर लूट की घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया,
अभियुक्त इनाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना छपरौली बागपत में वन्य जीव अधि0 का 01 अभियोग व अभियुक्त ताज मौहम्मद के विरुद्ध कोतवाली बागपत में आवश्यक वस्तु अधिनिमय का 01 अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

1. लूटा गया बंद बॉडी ट्रक नम्बर HR 55AR 0840,
2. घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक नम्बर UP 17BT 8586 ,
3. 01 मोटर गोदरेज कम्पनी,
4. 03 गत्ता पेटी प्लेटनुमा मशीनरी पार्ट,
5. 01 गत्ता पेटी जिसमें बॉस कम्पनी के 04 ग्राइंडर,
6. 01 कट्टे में प्लेट बनाने की डाई,

7, 02 टायर जेके कम्पनी रिम सहित

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने धर्मान्तरण कर विवाह करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमती सांगविका सांरगी पल्ली श्री रणजीत कुमार सांरगी नि० द्वितीय-8 मारूति विलेज नाका गेट्स, एक्स खण्ड मिनी भुवनेश्वर जिला भुवनेश्वर, उडीसा ने थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि उनकी पुत्री पढ़ने में काफी होशियार थी, पढ़ने में होशियार होने के कारण अपनी पुत्री को यूक्रेन से MBBS कराया। यूक्रेन से MBBS की पढ़ाई करने के पश्चात् आवेदिका की पुत्री नोएडा के एक प्राईवेट अस्पताल में नौकरी करती थी, जहाँ उसकी जान पहचान अस्पताल में नौकरी करने वाले डा० अब्दुर्रहमान पुत्र इमरान अहमद नि० शाहजहाँपुर, मौ० रंगरेजन मवाना थाना किठौर जनपद मेरठ नामक व्यक्ति से हुई। डा० अब्दुर्रहमान लव-जेहाद के तहत पीडिता के साथ घुलने मिलने लगा। दिनांक 17.11.2017 को डा0 अब्दुर्रहमान द्वारा सैक्टर-71, नोएडा स्थित फ्लैट पर योजनबद्ध तरीके से पीडिता को आग लगाकर जला कर अपंग कर दिया, जिसका उपचार श्रीमती सांगविका व उनके पति रणजीत कुमार सांरगी द्वारा दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया। दिनांक 15.10.2018 को डा० अब्दुर्रहमान ने धोखा देने की नीयत से अपना धर्म परिवर्तन करने का ढोंग रचकर पीडिता के साथ आर्य समाज मन्दिर में अपना स्वधर्म मुस्लिम का त्याग करते हुए हिन्दू धर्म स्वीकार कर वैदिक रीति रिवाजों से पीडिता से विवाह कर लिया। इस प्रकार आरोपी अब्दुर्रहमान द्वारा कपट पूर्वक षडयंत्र रचकर तथ्यों को छुपाते हुए विधि विरुद्ध धर्मान्तरण करते हुए विवाह किया गया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। आवेदिका के तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 13.08.2024 को थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक

कोतवाली द्वारा आरम्भ की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि आरोपी अब्दुर्रहमान ने हिन्दू धर्म को कभी मन से नहीं अपनाया और न ही हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों का पालन किया। इस घटनाक्रम की तब पूर्ण रूप से पुष्टि हुई जब आरोपी अब्दुर्रहमान व पीडिता को विवाह के पश्चात् दिनांक 24.06.2021 को पुत्र के रूप में सन्तान की प्राप्ति हुई। आरोपी द्वारा पुत्र का नाम मुस्लिम धर्म के अनुसार मौ० अली रखा गया, जबकि आरोपी अब्दुर्रहमान द्वारा वर्ष 2018 में ही हिन्दू धर्म अपना लिया गया था, परन्तु वर्ष 2021 में अपने पुत्र का इस्लाम धर्म के अनुसार नाम रखा तथा इस्लामी मान्यताओं के अनुसार अपने पुत्र की सुन्नत भी आरोपी द्वारा करायी गयी। विवेचना के दौरान पीडिता द्वारा अपने कथनों में बताया कि आरोपी अब्दुर्रहमान अभी भी इस्लाम धर्म तथा इस्लामी मान्यताओं के अनुसार ही रीति रिवाजों का पालन कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त आरोपी अब्दुर्रहमान द्वारा मात्र पीडिता से विवाह करने के उददेश्य के लिए षडयंत्र रचकर कपटपूर्वक तरीके से धर्म परिवर्तित करने का ढोंग किया गया। आरोपी डा० अब्दुर्रहमान अभी भी इस्लाम धर्म का ही अनुयायी है। आज दिनांक 22.08.2024 को अभियुक्त डा० अब्दुर्रहमान को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से घटना के सम्बन्ध में गहराई से पूछताछ एवं छानबीन कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मोबाइल छीनने की घटना का सफल अनावरण कर 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से छीना गया मोबाइल बरामद

दिनांक 21.08.2024 को थाना मसूरी पर वादी श्री रावेन्द्र त्रिपाठी s/o रामलाल त्रिपाठी निवासी A-126, ग्रीन पार्क कालोनी चिपियाना बुजुर्ग, गौ0बु0नगर ने एक तहरीर दी कि एक अज्ञात लड़का मेरी पत्नी से मोबाइल फोन (रेडमी) छीनकर भाग गया । थाना मसूरी पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया ।

दिनांक 22.08.24 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया तथा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना में प्रकाश में आये बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, जिसके कब्जे से छीना गया रेडमी मोबाइल फोन बरामद हुआ । अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विरवण-

पूछताछ करने पर बाल अपचारी ने बताया की वह कल दिनांक 21.08.24 को रफीकाबाद की तरफ से ऑटो में बैठकर आ रही एक महिला से उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गया था ।

बरामदगी का विवरण

छीना गया 01 मोबाईल रेडमी,

आपराधिक इतिहास

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना मसूरी पर उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है,

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सोसायटी में से मोटर साइकिल चोरी करके उनके पार्ट्स निकालकर बेचने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल के पार्टस व 3600/- रुपये बरामद।

दिनांक 21.08.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम को शिप्रा सन सिटी के आर डब्लू के मेंमबरों द्वार सूचना दी गई कि हमारी सोसाइटी में से मोटर साइकिल चोरी हो गई है। हमारी सोसाइटी के गेट नंबर 4 पर असलम पुत्र अकबर निवासी 168 गली नं0 3 निकट गोल्डन पब्लिक स्कूल प्रताप नगर जोकि गैस चूल्हा, प्रशर कूकर व मिक्सी मशीन को ठीक करने का कार्य करता है। हमे शक है कि इसी व्यक्ति ने हमारी सोसाइटी से बाइक चोरी की है। तत्काल थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा असलम पुत्र अकबर निवासी उपरोक्त से पूछताछ की गई बताया कि मेरे द्वारा ही सोसाइटी में से 02 मोटर साइकिल चोरी की गई है। जिसके मैने अपने दोस्त इकरारुद्दीन उर्फ नन्हे को बेच दी थी। इकरारुद्दीन उर्फ नन्हे पुत्र रियासत निवासी बी 112 विजयनगर गाजियाबाद से पूछताछ की गयी तो बताया कि उन मोटरसाइकिल को मैने स्क्रैप गोदाम में कार्यरत बिलाल उर्फ राजू को बेची थी जिसके बाद बिलाल उर्फ राजु पुत्र वसीम निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद से पूछताछ की गयी तो बताया कि उपरोक्त तीनो व्यक्तियों मिलकर मोटर साइकिल चोरी करके व उनके पार्ट्स को बेच देते थे। अभियुक्तगणों उपरोक्त को के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कब्जे से चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल के पार्टस व 3600/-रुपये बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्तगणों उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ की गयी तो बताया कि शिप्रा सनसिटी गेट नं0 4 पर दुकान चलाने वाले अभियुक्त असलम ने बताया कि सोसायटी मे जो मोटर साइकिल पुरानी या धूल मे हो जाती थी उन्हे चोरी कर ले जाता है। जिसमे कुछ समय पहले ही मेरे द्वारा एक एनएक्सजी बाईक चोरी की थी जिसको 5500/- रु मे अपने दोस्त इकरारुद्दीन उर्फ नन्हे जिसकी विजयनगर गोशाला फाटक के पास बाईक रिपेयरिंग की दुकान है को बेच दी थी साथ ही एक अन्य गलैमर मोटरसाइकिल भी चोरी कर दोस्त को बेचना बताया।

इकरारुद्दीन उर्फ नन्हे से पूछताछ की गयी तो बताया कि असलम से खरीदी गयी मोटर साइकिल को मैनापुर मे स्थित सैवन स्टार के नाम से एक स्क्रैप गोदाम मे बिलाल उर्फ राजू नाम के व्यक्ति को बेच देता हूँ। अभियुक्त बिलाल उर्फ राजू से पूछताछ की गयी तो बताया कि अभियुक्त के पास से बाईको के पार्ट्स बरामद किये गये तथा बताया कि इकरारुद्दीन से बाईक खरीदकर उनको काट देता हूँ। जिससे अच्छा मुनाफा होता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- असलम पुत्र अकबर निवासी 168 गली न0 3 निकट गोल्डन पब्लिक स्कूल प्रताप नगर उम्र 31 बर्ष।
2- इकरारुद्दीन उर्फ नन्हे पुत्र रियासत निवासी बी 112 विजयनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।
3- बिलाल उर्फ राजु पुत्र वसीम निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल के पार्टस व 3600/-रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।